## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
## पीठासीन अधिकारीः– जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 01/2015/रेफरेन्स

तहसीलदार सीकर जिला सीकर

**प्रार्थी**

**बनाम**

बिहारीलाल पुत्र सूरजमल महाजन निवासी पिपराली

**अप्रार्थी**

**रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956**

वकील अप्रार्थी श्री रामप्रकाश गुप्ता

**निर्णय** **दिनांकः–21.06.2018**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पिपराली तहसील सीकर में भूमि ख.नं. 946 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा नाला राजकीय स्थित है। ग्राम पिपराली से नवघोषित ग्राम पुरोहित का बास बना और यह ख.नं. ग्राम पुरोहित का बास में आ गया एवं सैटलमेंट द्वारा इस आराजी का ख.नं. 2394 रकबा 2.10 है0 गै0 मु0 नाला बनाया गया है। गै0 मु0 नाला राजकीय खाते में दर्ज रहा, किन्तु माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां मु0न0 1/2003 उनवानी बिहारीलाल बनाम तहसीलदार सीकर निर्णय दिनांक 27.12.2006 द्वारा इस आराजी में से 0.47 है0 भूमि प्रतिवादी बिहारीलाल के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये। उक्त निर्णय की पालना में ग्राम पुरोहित का बास में नामान्तरण सं. 874 दर्ज किया जाकर दिनांक 31.03.2010 को तहसीलदार सीकर द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में स्वीकृत किया गया। आराजी स.नं. 2394 गै0मु0 नाला की राजकीय भूमि है, जिसकी खातेदारी किसी को आंवटन सलाहकार समिति के द्वारा आवंटन करने पर ही मिल सकती है। उक्त आरजी गै0मु0नाला राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 16 में प्रतिबंधित होने से किसी को आंवटन नही हो सकती, तथा किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी में अंकित नही की जा सकती। अब्दुल रहमान बनाम सरकार में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश दिये है कि इस प्रकार की भूमियां किसी को आवंटित नहीं की जा सकती। अन्य किसी तरीके से भी खातेदारी में दर्ज नहीं की जा सकती है। यदि किसी के नाम खातेदारी में अंकित कर दी गयी है, तो उसे पुनः पूर्व की भांति राजकीय खाते में दर्ज की जावे। अतः प्रकरण में स्थगन जारी कर प्रतिवादी को उक्त आराजी का विक्रय करने व खुर्द बुर्द करने से रोका जाने हेतु निवेदन है। न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 27.12.2006 व नामान्तकरण संख्या 874 ग्राम पुरोहित का बास को निरस्त करने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत है।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक खसरा नम्बर 946 के नये खसरा नम्बर 2394 दर्ज किये गये है। नकल जमाबन्दी ग्राम पिपराली सम्वत् 2026–2029, सम्वत् 2030–2033 के खसरा नम्बर 946 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा व ग्राम पुरोहित का बास सम्वत् 2044–2047 से सम्वत् 2064–2067 के मुताबिक खसरा नम्बर 2394 रकबा 2.10 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकीन नाला दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 874 दिनांक 31.03.2010 का अवलोकन

खातेदारी बिहारीलाल पुत्र सूरजमल जाति महाजन के नाम दर्ज है। उक्त भूमि की खातेदारी सम्वत् 2026–2029 में गैर मुमकीन नला दर्ज होने के बावजूद गलत रूप से अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज कर दी गई। नकल जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित आराजी गैर मुमकीन नाला दर्ज है तथा अप्रार्थी के नाम से दर्ज है जबकि गैर मुमकीन जोहड़, नदी, नाला, तालाब का धारा 16 आरटीएक्ट से प्रतिबंधित ही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अब्दूल रहमान बनाम स्टेट में ऐसी अनियमितताओं को राजस्व मण्डल राजस्थान से निरस्त करवाने के आदेश भी है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पुरोहित का बास के नामान्तकरण संख्या 874 दिनांक 31.03.2010 के द्वारा अप्रार्थी बिहारी पुत्र सूरजमल जाति महाजन निवासी पिपराली को दी गई खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है। मूल पत्रावली निबंधक राजस्व मण्डल राज. अजमेर को भेजी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/6/18

(जयप्रकाश)

**अति0 जिला कलक्टर, सीकर**